

UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY, HALDWANI
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पत्रांक: यूओयूओ/Admission/26/20/17

दिनांक: 18/02/2025

सेवा में,

1. प्रो० गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान वि०शा०, सीका, क्षेत्रीय सेवाएं उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
2. प्रो० पी०डी० पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, अकादमिक एम०पी०डी० उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
3. प्रो० रेनू प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
4. प्रो० जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
5. श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
6. प्रो० सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
7. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
8. प्रो० आशुतोष भट्ट, निदेशक, आई०सी०टी०, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।

आमंत्रित सदस्य

9. डॉ० विनोद कुमार, सहायक प्रवेश प्रभारी, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
10. डॉ० विशाल कुमार शर्मा, सहायक प्रवेश प्रभारी, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
11. श्री दीप प्रकाश, सहायक प्रवेश प्रभारी, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
12. श्री जितेन्द्र द्विवेदी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
13. श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव, (प्रवेश) उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।

अनुभाग स्तर

14. श्रीमती रंजना जोशी, कोडिनेटर प्रवेश, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी

आदरणीय महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की दिनांक 18 फरवरी 2025 (मंगलवार) प्रातः 11 बजे आयोजित 05वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करे, जिससे कि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन / संशोधन किया जा सके।

सादर।

भवदीय,
(डॉ० सुमित प्रसाद) 18/02/25
प्रवेश प्रभारी (प्रवेश)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

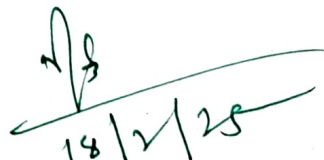
प्रतिलिपि- विशेष कार्याधिकारी, कुलपति महोदय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की पांचवीं प्रवेश समिति की बैठक, दिनांक 18.02.2025 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की पांचवीं प्रवेश समिति की बैठक, दिनांक 18.02.2025 को प्रातः 11:00 बजे आहूत की गयी, जिसमें निम्नवत पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रो० ओमप्रकाश सिंह नेगी
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० गिरिजा प्रसाद पाण्डे
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा | सदस्य |
| 3. प्रो० पी०डी० पंत
निदेशक, भौमिकी व पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा | सदस्य |
| 4. प्रो० रेनू प्रकाश
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा | सदस्य |
| 5. प्रो० जितेन्द्र पाण्डेय
निदेशक, कम्प्यूटर साईंस व सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा | सदस्य |
| 6. श्री खेमराज भट्ट
कुलसचिव | सदस्य |
| 7. श्री सूर्य प्रताप सिंह
मुख्य वित्त अधिकारी | सदस्य |
| 8. प्रो० सोमेश कुमार
परीक्षा नियंत्रक | सदस्य |
| 9. डॉ० सुमित प्रसाद
प्रवेश प्रभारी | सदस्य सचिव |


(प्रमुख प्रवेश)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


18/2/25
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

आमंत्रित सदस्य-

1. डॉ० विनोद कुमार, सहायक प्रवेश प्रभारी
2. डॉ० विशाल कुमार शर्मा, सहायक प्रवेश प्रभारी
3. श्री दीप प्रकाश, सहायक प्रवेश प्रभारी
4. श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
5. श्री जितेन्द्र द्विवेदी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर

सर्वप्रथम सदस्य सचिव/प्रवेश प्रभारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अभिवादन किया गया। तदुपरांत विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों पर संक्षिप्त जानकारी देते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। प्रवेश समिति की उक्त बैठक में निर्धारित कार्यसूची के अनुरूप प्रस्ताव/मर्दों पर कार्यवाही शुरू की गयी, जिसमें अधोलिखित निर्णय लिये गये।

मद संख्या 05:01-प्रवेश समिति की चौथी बैठक, दिनांक 29.01.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

समिति को अवगत कराया गया कि प्रवेश समिति की चौथी बैठक, दिनांक 29.01.2024 में आहूत की गयी थी। उक्त बैठक का कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया था, जिस पर किसी भी सदस्य से कोई भी सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ।

अतः उक्त आलोक में समिति द्वारा कार्यवृत्त का अवलोकन करने के उपरांत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन दिया गया।

मद संख्या 05:02-प्रवेश समिति की चौथी बैठक, दिनांक 29.01.2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

समिति के सम्मुख सदस्य सचिव द्वारा प्रवेश समिति की चौथी बैठक, दिनांक 29.01.2024 में निर्णित कुल 11 प्रस्तावों/मर्दों के क्रम में अद्यतन की गयी कार्यवाही से विस्तृत रूप में अवगत कराया गया, जिसके आलोक में समिति के सभी सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त करते हुए कृत कार्यवाही के प्रति सराहना की गयी।


18/2/2025
(प्रभारी प्रवेश)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 05.03-MAPSY-21 एवं MAPSY-24 कार्यक्रमों में दो विषयों/शीर्षकों (Psychological Measurement एवं Psychological Statistics) को एक ही प्रश्न पत्र कोड MAPSY-502 आवंटित होने के कारण, एक ही कोड से दो अलग-अलग प्रश्नपत्र जुड़े होने होने सम्बन्धी उत्पन्न हुई समस्या, के सम्बन्ध में विचार एवं आगामी सत्रों में स्पष्टता के लिए दिशा-निर्देश/निर्णय के सम्बन्ध में।

बैठक में सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय अकादमिक स्तर से MAPSY-21 एवं MAPSY-24 कार्यक्रमों में दो विभिन्न विषयों/शीर्षकों (Psychological Measurement एवं Psychological Statistics) को एक ही प्रश्न पत्र कोड MAPSY-502 आवंटित किया गया है, जिसकी सूचना, प्रवेश अनुभाग को शीतकालीन परीक्षा सत्र दिसम्बर, 2024 (माह फरवरी, 2025) के आरम्भ होने से चार दिन पूर्व प्राप्त हुई है। एक ही कोड आवंटन से दो अलग-अलग प्रश्नपत्र जुड़े होने सम्बन्धी समस्या के क्रम में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए कुलपति जी के ईमेल से प्राप्त अनुमोदनोपरांत MAPSY-24 शीर्षक का प्रश्नपत्र कोड MAPSY 502 से परिवर्तित कर MAPSY-511 (Psychological Measurement) कर दिया गया है।

निर्णय— उक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक रूप से विचार-विमर्श करने के उपरांत समिति ने यह पाया है कि यद्यपि तात्कालिक परिस्थिति में आवंटित कोड का समाधान कुलपति जी के निर्णयानुसार कर दिया गया है, किन्तु अकादमिक विभाग/सम्बन्धित कार्यक्रम समन्वयक की उक्त गलती के प्रति भी खेद प्रकट किया है, जो कि सम्बन्धित की विभागीय कार्यों के प्रति अरुचि व लापरवाही को दर्शाता है। तदुपरांत समिति ने इस संस्तुति के साथ निर्णय किया है कि कुलसचिव उक्त लापरवाही के लिए जवाबदेह सम्बन्धित कार्यक्रम समन्वयक को कठोर चेतावनी पत्र देकर भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, से आगाह करें एवं भविष्य में समस्त विषयों के कोड का निर्माण निदेशक-अकादमिक के स्तर से प्रवेश प्रभारी के साथ सामंजस्य स्थापित कर किया जाय।

मद संख्या 05.04-यू0जी0सी0-डैब के नियमों एवं अकादमिक समिति के अनुमोदन अनुरूप **ABC ID** एवं **DEB ID** नहीं होने के कारण प्रवेश सत्र जुलाई, 2024 में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के 1566 अभ्यर्थियों के प्रवेश स्थगन की सूचना।

विदित है कि यू0जी0सी0-डैब के नियमों के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय अकादमिक समिति के अनुमोदन के उपरांत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी की **ABC ID** एवं **DEB ID** होना अनिवार्य है। उक्त आई0डी0 के बगैर प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

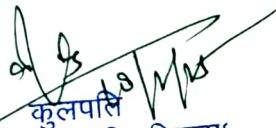
ध्यानाकर्षित किया गया कि प्रवेश सत्र जुलाई, 2024 में विभिन्न स्नातक के 1566 अभ्यर्थियों, जिन्होंने **ABC ID** एवं **DEB ID** नहीं बनायी थी, उन सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश स्थगित कर दिये गये हैं एवं उन्हें प्रवेश सत्र जनवरी, 2025 में इस आशय के साथ परिवर्तित कर दिया गया है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी अपनी सही **ABC ID** एवं **DEB ID** विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगें। तत्पश्चात उनमें से 600 छात्रों द्वारा आई0डी0 उपलब्ध करा दी गयी है।

यह भी बताया गया कि वर्तमान में 1566 अभ्यर्थियों में से 966 ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, जिन्होंने या तो अपनी **DEB ID** अद्यतन नहीं बनायी है और या फिर विश्वविद्यालय को सूचित नहीं किया है।

निर्णय— उपरोक्त वर्णित कथनों के आलोक में सभी सदस्यों द्वारा ऊधोलिखित प्रस्तर-1 के अनुक्रम में प्रस्तर-2 पर सहमति व्यक्त की गयी एवं प्रस्तर-3 के अनुरूप यह संस्तुति दी कि छात्रहित में ऐसे 966 अभ्यर्थियों को प्रवेश सत्र जुलाई, 2025 में प्रवेश के लिए एक अन्य अवसर दे दिया जाय। तदुपरांत भी यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार आवेदनों को निरस्त करें एवं ऐसी दशा में विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क वापिसी नहीं की जायेगी।

मद संख्या 05.05-विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क में प्रदान किये जा रहे लाभ हेतु शपथ पत्र लिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।


(प्रभारी प्रवेश)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(73)

समिति के सम्मुख संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक दिव्यांग अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क में छूट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। कतिपय समय यह भी ज्ञात हुआ है कि दिव्यांग व्यक्ति एक से अधिक विभागों की सुविधाओं में शुल्क छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं, जिसकी विधिक सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं होती है, जबकि प्रवेश अनुभाग का यह अभिमत है कि लाभार्थी को एक समय में एक ही विभाग से एक ही शुल्क छूट का लाभ मिलना चाहिए।

निर्णय— तद् आलोक में समिति के समक्ष आपसी विचार-विमर्श करने के उपरांत यह सहमति व निर्णय हुआ कि ऐसे सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रवेश लेने के समय विश्वविद्यालय को रुपये 10 मात्र के स्टाम्प पर निम्नवत प्रारूप में शपथ/अभिवचन प्रस्तुत करने पर ही शुल्क छूट सम्बन्धी लाभ ले सकेंगे।

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री यू0आई0डी0 नंबर

आधार संख्या निवासी शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि वर्तमान में मेरे द्वारा दिव्यांगजन के तौर पर किसी भी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा रहा है। भविष्य में यदि उक्त घोषणा में कोई विसंगति पायी जाती है या इसमें कोई तथ्य को छुपाया गया होगा, तो मैं विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा प्राप्त रियायत को लौटाने हेतु प्रतिबद्ध रहूँगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को भी स्वीकार करूँगा।

मद संख्या 05.06—सत्र जुलाई, 2024 से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाईन पोर्टल/फार्म की सूचना।

सदस्य सचिव/प्रवेश प्रभारी द्वारा जानकारी दी गयी कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए विधिवत प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिस हेतु गत वर्षों तक प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही में सम्बन्धित अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र, परंपरागत तौर पर अर्थात् आफलाईन फार्म में प्रविष्ट कराये जाते थे। सत्र जुलाई, 2024 से

5


(प्रभाषी प्रवेश)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुसुपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(12)

विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन पोर्टल/फार्म विकसित कर लिया गया है, जिससे विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रियाओं में तत्परता व कुलशता आयी है।

बैठक में सभी सदस्यों के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चोपरांत यह पाया कि आई0सी0टी0 अनुभाग स्तर से प्रवेश प्रभारी के साथ परस्पर किये गये सहयोग से सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन हो चुकी है, जो कि विश्वविद्यालय प्रवेश की प्रक्रियाओं में गतिशीलता व स्पष्टता लायेगा, यह ई-गवर्नेंस का अंग भी है। प्रस्ताव के अंत में समिति द्वारा उपरोक्तानुसार सहमति देते हुए प्रवेश प्रभारी द्वारा किये जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा हुई।

मद संख्या 05.07-प्रवेश सत्र जुलाई, 2024 में B.ED SPECIAL/MBA/MCA पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वंचित रहे प्रवेश के इच्छुक छात्रों को पर्याप्त समय न मिलने के कारण प्रवेश सत्र जनवरी, 2025 में दिये जा रहे प्रवेश के निर्णय पर अनुमोदन।

ज्ञात हुआ कि प्रवेश सत्र जुलाई, 2024 के अन्तर्गत B.ED SPECIAL/ MBA/MCA पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा होने के उपरांत कॉउंसलिंग के माध्यम से चयनित व इच्छुक छात्रों को ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल निर्धारित तिथि को बंद होने के कारण प्रवेश फार्म भरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, फलस्वरूप कतिपय अभ्यर्थी प्रवेश लेने से वंचित रह गये हैं।

निर्णय—प्रश्नगत प्रकरण पर बैठक में इस तथ्य पर स्वीकृति हुई कि यू0जी0सी0-डैब की निर्धारित समयावधि में उक्त पाठ्यक्रमों में उपयुक्त छात्रों को प्रवेश लेने का उचित अवसर नहीं मिल पाया है। अतः समिति का यह निर्णय है कि ऐसे चयनित (जिन्होंने अभिलेख सत्यापन जुलाई, 2024 में पूर्ण कर लिया है) अभ्यर्थियों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप जनहित में प्रवेश सत्र जनवरी, 2025 की प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश दिया जाना उचित होगा। यह भी उपबंधित हुआ कि भविष्य में उक्त प्रकरण को दृष्टांत के तौर पर कदापि नहीं लिया जायेगा एवं इस आधार पर कोई भी दावे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6


(प्रमुख प्रवेश)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(71)

समिति ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विश्वविद्यालय के अधीन ऐसे समस्त पाठ्यक्रम, जिनमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का प्रवेश पंजीकरण के लिए चयन किया जाता है, समन्वयक/निदेशक सम्बन्धित विद्याशाखा, भविष्य में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन व काउंसलिंग की प्रक्रिया सम्बन्धित प्रवेश सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व पूर्ण कर प्रवेश अनुभाग को अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में कुलपति जी को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है।

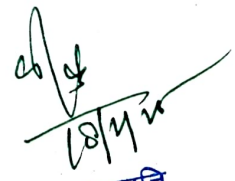
मद संख्या 05.08-प्रवेश सत्र जुलाई, 2024 में B.ED ODL पाठ्यक्रम की मान्यता प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अर्थात् अद्यतन मान्यता नहीं होने के कारण 472 चयनित व इच्छुक छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया का स्थगन।

सदस्य सचिव/प्रवेश प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रवेश सत्र जुलाई, 2024 के अन्तर्गत B.ED ODL पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा होने के उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से चयनित व इच्छुक अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की गयी थी, किन्तु B.ED ODL विभाग की सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि B.ED ODL पाठ्यक्रम की मान्यता प्रक्रिया यू0जी0सी0-डैब में अद्यतन गतिमान है अर्थात् अद्यतन मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण से प्रवेशित अभ्यर्थियों का पंजीकरण नियमानुकूल नहीं है। विभाग की उक्त संस्तुति के आधार पर प्रवेश अनुभाग द्वारा ऐसे 432 अभ्यर्थियों के प्रवेश पंजीकरण को स्थगित किया गया है। सम्बन्धित विभाग द्वारा कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत यह भी संस्तुति दी है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके अनुरोध पर, प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश पंजीकरण का लिया हुआ पूरा शुल्क वापिस किया जा सकेगा अथवा यू0जी0सी0-डैब से मान्यता मिलने के उपरांत आगामी सत्र में प्रवेश पुनः जीवित कर लिया जा सकेगा।

निर्णय- उक्त के आलोक में समिति/बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा आपसी विचार-विमर्श किया गया एवं प्रस्ताव अनुरूप अद्यतन की गयी कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदित किया कि भविष्य में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नियमानुसार मान्यता मिलने के उपरांत प्रवेश की कार्यवाही की जाय।

7


(प्रमुख प्रवेश)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 05.09-प्रवेश अनुभाग में विगत कई वर्षों से रखे हुए प्रवेश आवेदन पत्रों का विनष्टीकरण पर निर्णय।

प्रवेश प्रभारी द्वारा समिति को बताया गया कि प्रवेश अनुभाग में विगत कई वर्षों से अत्यधिक मात्रा में पुराने निष्क्रिय प्रवेश फार्म रखे हुए हैं। पुराने हो चुके इन प्रपत्रों को वर्तमान में किसी भी प्रकार से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अत्यधिक मात्रा में होने के कारण कार्यालय स्थल को अनावश्यक रूप से घेर रहे एवं कतिपय समय सूचनाओं में भ्रांति पैदा करते हैं, अतः उक्त प्रपत्रों को निष्प्रयोज्य व विनष्टीकरण किया जाना उपयुक्त है।

निर्णय— उक्त व्यापक प्रपत्रों के निष्क्रिय होने के दृष्टिगत बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत दस्तावेजों/प्रपत्रों को प्रवेश प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन के निष्प्रयोज्य घोषित करने व विनष्ट किये जाने सम्बन्धी प्राविधानों के अधीन रहते हुए परीक्षा अनुभाग द्वारा अंगीकृत नियमों के अनुरूप कार्यवाही करें।

मद संख्या 05.10-निदेशक-आर0एस0डी0, निदेशक-सीका व निदेशक-एम0पी0डी0डी0 को प्रवेश समिति में विधिवत सदस्य बनाये जाने हेतु प्रस्ताव आगामी कार्यपरिषद को अग्रसारित करना।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्य विदित थे कि वर्तमान में निम्नवत पदधारक प्रवेश समिति के अभिन्न सदस्य हैं—

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| ● कुलपति | — | अध्यक्ष |
| ● निदेशक, समस्त विद्याशाखा | — | सदस्य |
| ● कुलसचिव | — | सदस्य |
| ● वित्त नियंत्रक | — | सदस्य |
| ● परीक्षा नियंत्रक | — | सदस्य |
| ● निदेशक, आई0सी0टी0 | — | सदस्य |
| ● प्रवेश प्रभारी | — | सदस्य सचिव |

सदस्य सचिव का प्रस्ताव था कि निदेशक-अकादमिक, निदेशक-आर0एस0डी0, निदेशक-सीका व निदेशक-एम0पी0डी0डी0 के प्रवेश सम्बन्धी कार्यों से जुड़े होने के दृष्टिकोण से उक्त पदधारकों को प्रवेश समिति का विधिवत सदस्य बनाया जा सकता है।


(प्रमुख प्रवेश)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(61)

निर्णय— तदक्रम में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सहमति व्यक्त करते हुए यह संस्तुति दी कि प्रवेश समिति की उक्त संस्तुति पर विधिवत कार्यवाही/अनुमोदन हेतु निर्णित मद कार्यपरिषद को अग्रसारित किया जाय।

मद संख्या 05.11—अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

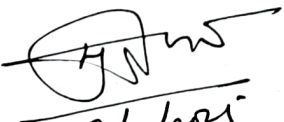
05.11.1—स्नातक स्तर पर प्रस्तावित NEP आधारित कार्यक्रमों (चार वर्षीय)की आधारभूत संरचना को वर्तमान में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम तीन वर्षों के अनुरूप रखा जाये तथा चतुर्थ वर्ष की संरचना निदेशक अकादमिक स्तर से पूर्ण कराकर प्रवेश अनुभाग को सूचना प्रदान की जाय।

सदस्य सचिव/प्रवेश प्रभारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, अकादमिक स्तर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तीन वर्ष के जगह पर 04 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाये जाने पर कार्यवाही गतिमान है। विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों की शुरुआत प्रवेश सत्र जुलाई, 2023 से हो चुकी है। प्रवेश अनुभाग का अभिमत है कि अकादमिक स्तर से स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में जिस चतुर्थ वर्ष की संरचना के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है, उस चतुर्थ वर्ष की संरचना को पूर्व से ही संचालित नई शिक्षा नीति के तहत शुरू सत्र जुलाई, 2023 के पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाना उपयुक्त प्रतीत होता है, ताकि भविष्य में प्रशासनिक व तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो।

निर्णय— प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत समिति दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त करते हुए यह संस्तुति दी कि निदेशक-अकादमिक, विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद के अधीक्षणाधीन रहते हुए ठोस नीति बनाये जाने पर कार्यवाही करें।

05.11.2—ई-एस0एल0एम0 के प्रयोग की अनिवार्यता ।

विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन दी जा रही ई-एस0एल0एम0 की वैकल्पिकता पर समिति द्वारा विचार करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय किया गया कि डिजिटल इण्डिया इनीशियेटिव को बढ़ावा देते हुए विश्वविद्यालय में सत्र जुलाई, 2025 से पंजीकृत होने वाले समस्त छात्रों को अनिवार्य रूप से ई-एस0एल0एम0 प्रदान किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित छात्र को


प्रभारी/प्रवेश
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
देहरादून

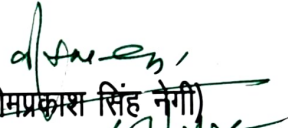

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

62
विश्वविद्यालय नियमानुसार पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई छात्र मुद्रित एस0एल0एम0 की मांग करता है, तो ऐसी दशा में वह छात्र पृथक से आवेदन कर बकाया पाठ्यक्रम शुल्क में दी जा रही 15 प्रतिशत छूट की धनराशि को अनिवार्य रूप से जमा करेगा। इसके लिए प्रवेश फार्म में उपयुक्त संशोधन करने के लिए प्रवेश अनुभाग को निर्देशित किया गया है।

अंत में सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।


18/02/2025
(डॉ० सुमित प्रसाद)
सदस्य सचिव / प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

दिनांक : 18/02/2025


(प्रो० ओमप्रकाश सिंह नेगी)
अध्यक्ष / कुलपति
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय: हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

पत्रांक:- यूओयू/आर/वि0परि0(31वीं)/का0परि0(43वीं) 2025

दिनांक 16.04.2025

प्रभारी प्रवेश

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11 मार्च, 2025 एवं कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2025 में पारित प्रस्ताव जो निम्नवत् है, आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

प्रस्ताव संख्या 31.07- विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की 5वीं बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की दिनांक 18 फरवरी, 2025 को सम्पन्न 5वीं बैठक की संस्तुतियों में मद संख्या 05.11- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत 05.11.1 में विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करते हुए शेष कार्यवृत्त पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

मद संख्या 05.11.1 -

प्रवेश समिति के प्रस्ताव संख्या-05.11.1 एवं निदेशक अकादमिक की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2025 को सत्र 2025-26 से स्नातक स्तर पर ऑनर्स डिग्री कोर्स शुरू करने के संबंध में सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों का एक साथ अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को 04 वर्ष में upgrade करने की संस्तुति की गयी। साथ ही 03 वर्ष के कोर्स को पूर्व की भांति रखते हुए स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष से संबंधित पाठ्यक्रम को चतुर्थ वर्ष में लागू किये पर निर्णय पारित किया गया।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।


कुलसचिव/सदस्य सचिव, विद्या परिषद/ कार्य परिषद

प्रतिलिपि:- कुलपति सचिवालय को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।


(प्रभारी प्रवेश)

मुक्त विश्वविद्यालय

Handwritten note: Please include in the Hom of Admission Committee (05.11.1)